भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4053
17 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात का उपयोग

4053. **श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में अवसंरचना परियोजनाओं में घरेलू इस्पात के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लागू निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ग) 'मेक इन इंडिया' पहल को सुदृढ़ करने में इस नीति की क्या भूमिका है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार गुजरात सहित भारत में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। निवेश, अधिप्राप्ति आदि संबंधी निर्णय कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। भारत में मजबूत घरेलू मांग के कारण पिछले चार वर्षों के दौरान तैयार इस्पात की खपत 12.5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है, और वित्त वर्ष 2024-25 में तैयार इस्पात की खपत 152.13 मिलियन टन (एमटी) रही। सरकार ने सरकारी और उसकी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में घरेलू इस्पात के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति लागू की है।

*****